This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 23 मई, 2016 / 2 ज्येष्ठ 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 10 मई, 2016

संख्या : मुद्रण (बी) 10–35 / 2010.–हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुएए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में, **अनुभागपाल (मोनो) वर्ग–III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं** के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, अनुभागपाल (मोनो), वर्ग–**III** (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 है ।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **निरसन और व्यावृत्तिया.–** (i) इस विभाग की अधिसूचना संख्या : मुद्रण –(बी)7–7/97 तारीख 27–02–2001 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, अनुभागपाल (मोनेनो), वर्ग–**III** (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2001 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है ।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई, इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
मुख्य सचिव (मुद्रण एवं लेखन) ।

उपाबन्ध–"क"

हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में अनुभागपाल (मोनो) वर्ग–III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं, के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम ।

1. **पद का नाम.**–अनुभागपाल (मोनो)

2. **पद (पदों) की संख्या.**– 01 (एक)

3. **वर्गीकरण.–वर्ग– III** (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं

4. **वेतनमान.–(I)** *नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान.*–10300–34800/–रूपए जमा 3200/–रूपए ग्रेड पे ।

(II) **संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.**–13,500/–रूपए प्रतिमास । (स्तम्भ संख्या 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार)

5. **"चयन' पद अथवा 'अचयन' पद.**– अचयन ।

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**– 18 से 45 वर्ष ।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रुप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पा्त्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी की हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द् को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं, / किए गए थे।

टिप्पण.--(I) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.–(क) *अनिवार्य अर्हर्तता(एं).*–(i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड / संस्थान से दस जमा दो पास या इसके समतुल्य ।

(ii) केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त मोनो ऑपरेटिंग ट्रेड मे राष्ट्रीय ट्रेड / प्रशिक्षुता प्रमाण–पत्र रखता हो; या

किसी सरकारी मुद्रणालय / आई0 एस0 ओ0 प्रमाणित निजी मुद्राणालय से मोनो ऑपरेटर के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ।

(ख) वांछनीय अहर्ता (एं).–हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्ति(यों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.– लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हता.– हां, जैसी नीचे स्तम्भ संख्या : 11 के सामने विहित है।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.–दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद(पदों)की प्रतिशतता.–शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर, यथास्थिति, नियमित आधार पर सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां(ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति / सैकेण्डमैंट / स्थानान्तरण किया जाएगा.–मोनो ऑपरेटरों तथा मोनो सुपर कास्टर मे से प्रोन्नति द्वारा, जिन्होनें दसवीं की परीक्षा (मेट्रिक) पास की हो और जिनका 03 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो।

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए सभी पात्र पदधारियों (कर्मचारियों) की उनकी सेवाकाल के आधार पर पारस्परिक वरीयता को छेड़े बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा / नियुक्ति के अनुसरण में हो), के आधार या उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग / पद / काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बंधी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.– अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा / समझे जाएंगें, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिर्जवेशन ऑफ वेकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन–टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स–सर्विसमैन (रिर्जवेशन ऑफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति / प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई हो :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप, पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो, उसकी सरंचना.–जैसी कि सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.– जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.–किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.–सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग / अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15–क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.–इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियाँ नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :–

(I) संकल्पना.–(क) इस पॉलिसी के अधीन मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में अनुभागपाल **(मोनो)** को संविदा के आधार पर, प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) **पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के कार्यक्षेत्र में आना.**–नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन , इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.–संविदा के आधार पर नियुक्त अनुभागपाल (मोनो) को ₹ 13500/– रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 405/–रूपए की रकम (पद के पे बैड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) नियुक्ति/अनुशुशासन प्राधिकारी.–नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रक्रिया.–संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.–जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.–अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्, इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–'ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.–(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹13500/ की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 405/–रूपए (पद के पे बैड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान, आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगा।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपमुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा, और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों, तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नही की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी / आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ड) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू हैं, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0आर0,एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम, आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षण.–सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गो / अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के, अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.– लागू नहीं ।

18. **शिथिल करने की शक्ति.**– जहॉ राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

—————————

उपाबन्ध 'ख'

अनुभागपाल (मोनो), और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्ररूप।

यह करार श्री / श्रीमति.. पुत्र / पुत्री श्री.. ....निवासी..., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् **'प्रथम पक्षकार'** कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख................ .... को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने अनुभागपाल (मोनो) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:–

1. यह कि **प्रथम पक्षकार अनुभागपाल (मोनो)** के रूप में........... से प्रारम्भ होने और......... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात्.................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझीं जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

   परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

2. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 13500 / – रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। प्रथम पक्षकार आगे बढाए गए वर्ष / वर्षो के लिए संविदात्मक रकम में 405 / – रूपये (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्वि का हकदार और अन्य कोई सहबद्व प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

3. **प्रथम पक्षकार** की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त / तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त अनुभागपाल (मुद्रण) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा / होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

   परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा, तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

   परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी / आरोग्य का प्रमाण– पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक कारणो से ऐसा करना अपेक्षित हो ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यथियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियों की उपस्थिति में:–

1..
....
....
(नाम व पूरा पता)
2..
....
....
(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

सक्षियों की उपस्थिति में:–

1..
....
....
(नाम व पूरा पता)
....
....
....
(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[*Authoritative English Text of this Department Notification No : Mudran(B)10-35 /2010-dated 10-05-2016 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*.]

PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 10th May, 2016

No. Mudan (B)10-35 /2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of **Section Holder (Mono), Class-III (Non-Gazetted)(Non-Ministerial Services)** in the Department of Printing and Stationery Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:--

1. Short title and commencement.—(1) (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, **Section Holder (Mono), Class-III (Non-Gazetted) (Non-Ministerial Services)** Recruitment and Promotion Rules, 2016.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Section Holder (Mono) (Class-III-Non–Gazetted) (Non- Ministerial Services) Recruitment and Promotion Rules, 2001 notified vide this Department Notification No: Mudran(B)7-7/97 Dated 27-2-2001 are hereby repealed .

(ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rule so repealed under sub- rule-(1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order
Sd/-
Principal Secretary (P&S).

ANNEXURE **"A"**

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SECTION HOLDER (MONO) CLASS-III (NON-GAZETTED) (NON-MINISTERIAL SERVICES) IN THE DEPARTMENT OF PRINTING AND STATIONERY, HIMACHAL PRADESH.

1. Name of the Post.— Section Holder (Mono)

2. Number of Post(s).— 01(One)

3. Classification.— Class-III(Non-Gazetted) (Non–Ministerial-Services).

4. Scale of Pay.— (i) *Pay Scale for regular incumbents.*—Rs.10300-34800+ 3200 Grade Pay .

(ii) *Emoluments for contract employees.*—Rs. 13,500 /- P.M. (as per details given in Col.15-A).

5. Whether Selection post or Non-Selection post.— Non –Selection

6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations / Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies, who are/were subsequently appointed by such corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Notes.—(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).— *Essential Qualification(s).*—(i) 10+2 or its equivalent from a recognized Board of School Education. /Institution.

(ii) National Trade/Apprenticeship Certificate in the trade of Mono-Operating duly recognized by the Central / State Government.

OR

Three years experience as Mono-Operator from a Government Press/an ISO certified Private Printing Press.

Desirable Qualification(s)—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee (s) *Age.*— Not applicable

Educational Qualification.—Yes as prescribed under Column No.11

9. Period of probation, if any.— Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment/transfer and the percentage of post(s)to be filled in by various methods.—100% by promotion, failing which by direct recruitment on 'regular' basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion, secondment/transfer grades from which promotion/secondment/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Mono Operators and Mono Super Caster who have passed Matric and possess 03 (three) years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade:

Provided that for the purpose of promotion a combined seniority list of eligible officials on the basis of length of service without disturbing their cadre-wise inter-se-seniority, shall be prepared.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R& P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to the above, all persons senior to him/ her in the respective category / post / cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration :

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less :

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him /her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion:

Explanation.— The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Service men recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules,1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there- under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment / promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R&P Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test, if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/ syllabus, etc. of which, will determined by the recruiting authority.

15-A Selection for appointment to the post by contract recruitment.—Not withstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:--

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the **Section Holder (Mono)** in the Printing & Stationery Department will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable, on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis, the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB, HAMIRPUR.—The Controller, Printing & Stationery Department, HP after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. HP Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The **Section Holder (Mono)** appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @₹ 13,500/- per month (which shall be equal to the minimum of the pay band plus Grade pay.) An amount of ₹ 405/- (3% of the minimum of pay band +grade pay) as annual increase in contractual emoluments for subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/ DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Controller, Printing and Stationery H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in case of contract appointment will be made on the basis of Viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Subordinate Services Selection Board Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTEE.—As may be constituted by the concerned recruiting agency *i.e.* the H.P.Subordinate Services Selection Board Hamirpur from time to time.

(VI) (AGREEMEMT).—After selection of a candidate, he /She shall sign an agreement as per annexure -B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The Contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ₹13,500 per month (which shall be equal to minimum of pay band + Grade Pay). The Contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ₹ 405 /- (3% of minimum of the Pay band + Grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefit such as senior /selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employees will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 day's Medical Leave and 05 days special leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above admissible to the contract appointee:

Provided that un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated up to the calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the Contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his /her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/ she shall submit the certificate of illness / fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a Certificate of his /her fitness from a Government /Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees, will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes /Other categories of persons issued by Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.— Not applicable.

18. Powers to relax.— Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

ANNEXURE "B"

Form of contract/agreement to be executed between the Section Holder (Mono) & the Government of Himachal Pradesh through--Controller Printing and Stationery Department, H.P.

This agreement is made on this………………..day of………….. in the Year ……. …… …. Between…………Sh/Smt.…………….S/o/D/o Shri ………………… R/o ………………… … Contract appointee (herein after called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Controller, Printing and Stationery Department, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY, and the FIRST PARTY has agreed to serve as a **Section Holder (Mono)** on contract basis on the following terms and conditions:--

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a **Section Holder (Mono)** for a period of one year commencing on day of ----------------- …………………………..and ending on the day of ………………. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ----------- ------ and information notice shall not be necessary:

   Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

2. The Contractual amount of the FIRST PARTY will be **₹ 13500** /-per month. (which shall be equal to the minimum of pay band + grade pay). The FIRST PARTY will be entitled for increase contractual amount @ Rs. 405/- (3% of the minimum of the pay band +grade pay of the post) for further extended year and no other allied benefit such as senior/ selections scales etc, will be given.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good ,or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual **Section Holder (Printing)** will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 day's Medical Leave and 5 days Special Leave . He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the Contractual appointee:

   Provided that the un-availed casual leave and Medical leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carry forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling officer shall automatically, lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from the duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

   Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidate's pregnant

beyond twelve weeks will render her temporary unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part officials at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s)

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1……………………………………..
………………………………………
………………………………………
(Name and full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2……………………………………..
………………………………………
………………………………………
(Name and full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1……………………………………..
………………………………………
………………………………………
(Name and full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2……………………………………..
………………………………………
………………………………………
(Name and full Address)

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 16 मई, 2016

संख्याः मुद्रण(बी)10–8/2010.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में, **सहायक नियन्त्रक (मुद्रण) वर्ग–I** (राजपत्रित) तकनीकी के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:––

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––(*i*) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, सहायक नियन्त्रक (**मुद्रण**), वर्ग–**I** (राजपत्रित) तकनीकी, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 है।

(*ii*) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां**.––(*i*) अधिसूचना संख्याः मुद्रण 2(बी)2–9/93 तारीख 10–12–1998 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, सहायक नियन्त्रक (**मुद्रण**), वर्ग–**I** (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1998 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है।

(*ii*) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई, इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
प्रधान सचिव (मुद्रण एवं लेखन)।

———————

उपाबन्ध–"क"

हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में सहायक नियन्त्रक (मुद्रण), वर्ग–I (राजपत्रित) तकनीकी के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नामः**––सहायक नियन्त्रक (**मुद्रण**)

2. **पद (पदों) की संख्याः**––01 (एक)

3. **वर्गीकरणः**––वर्ग–I (राजपत्रित) (तकनीकी)

4. **वेतनमानः**––(I) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान :
पे बैंड ₹10300–34800/– जमा ₹ 5000/–ग्रेड पे

(II) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियांः––स्तम्भ संख्या 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ₹ 15300/– प्रति मास।

5. **"चयन' पद अथवा 'अचयन' पदः**––चयन पद ।

6. **सीधी भर्ती के लिए आयुः**––45 वर्ष और इसमें कम ।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रुप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पा्त्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी की हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे

पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द् को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं, / किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंः–– *(क) अनिवार्य अर्हता (एं) :––(i)* किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / बोर्ड से दसवीं या हायर सैकेंडरी पार्ट–1 या इसके समतुल्य।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय या केन्द्रीय / हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समयक रूप से मान्यता प्राप्त संस्थान से मुद्रण प्रौधोगिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा।

(iii) किसी सरकारी मुद्रणालय / किसी ख्याति प्राप्त प्राईवेट मुद्रणालय से पर्यवेक्षक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।

(ख) वांछनीय अर्हता (एं)ः––*(i)* किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या केन्द्रीय / हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समयक रूप से मान्यता प्राप्त संस्थान से मुद्रण प्रौद्योगिकी में उपाधि।

(ii) हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रितियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विधमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्ति (यों) की दशा में लागू होंगी या नहीं :––*आयुः––* लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हताः––हां, जैसी कि नीचे स्तम्भ संख्या : 11 के सामनें विहित है।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होः––दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद(पदों)की प्रतिशतताः––शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर, यथास्थिति, नियमित आधार पर सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां(ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति / सैकेण्डमैंट / स्थानान्तरण किया जाएगाः––मुख्य अग्रणी (जनरल फोरमैन) में से, प्रोन्नति द्वारा जो दसवीं पास या इसके समतुल्य हो और जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर मुख्य अग्रणी (जनरल फोरमैन) में से प्रोन्नति द्वारा, जो दसवीं पास या इसके समतुल्य हो और जिनका मुख्य अग्रणी (जनरल फोरमैन) / हैड रीडर / सैक्शन होल्डर (कंम्पोजिग) / सैक्शन होल्डर (मोनो), सैक्शन

होल्डर(मुद्रण), सैक्शन होल्डर (कम्प्यूंटिग) और सैक्शन होल्डर (बाईडिंग) का संयुक्ततः रूप में पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल, जिसमें मुख्य अग्रणी (जनरल फोरमैन) के रूप में दो वर्ष का सेवाकाल अनिवार्य होना चाहिए।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो), के आधार या उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बंधी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरणः–अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगें, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिर्जवेशन ऑफ वेकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन–टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स–सर्विसमैन (रिर्जवेशन ऑफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति (पोषक) से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप, पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो, उसकी संरचनाः––विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश आयोग या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग के सदस्य द्वारा की जाएगी ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा :––जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः––किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः––सीधी भर्ती की मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या

व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15–क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः––इन नियमों मे किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियाँ नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः––

(I) संकल्पनाः––(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में सहायक नियन्त्रक (**मुद्रण**) को संविदा के आधार पर, प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आनाः––सचिव, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन, इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियांः––संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक नियन्त्रक (**मुद्रण**) को **₹**15300/– रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 459/–रूपए की रकम (पद के पे बैड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) (नियुक्ति/अनुशसन प्राधिकारी)ः––सचिव (मुद्रण एवं लेखन सामग्री), हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रक्रियाः––संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति :–– जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) करारः––अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्, इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–'ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तेंः––(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 15300/रूपए की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 459/–रूपए (पद के पे बैड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान, आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगा।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपयुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश को एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा, और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों, तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नही की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा :

तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू हैं, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0आर0, एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम, आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षणः——सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के, अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षाः——सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय–समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 मे यथाविहित विभागीय परीक्षा उर्तीण करनी होगी ।

18. शिथिल करने की शक्तिः——जहॉ राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

उपाबन्ध 'ख'

सहायक नियन्त्रक (मुद्रण) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमति.................................... पुत्र/पुत्री श्री.. निवासी..,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् **(प्रथम पक्षकार)** कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात् (द्वितीय पक्षकार) कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.............................. को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने **सहायक नियन्त्रक (मुद्रण)** के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि **प्रथम पक्षकार सहायक नियन्त्रक (मुद्रण)** के रूप में........... से प्रारम्भ होने और........को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात्................. .... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझीं जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

   परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केव ल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित के जाएगी।

2. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 15300/— रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाए गए वर्ष/वर्षो के लिए संविदान्मक रकम में 459/— रूपये (पद के पे बैण्ड का न्युनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्वि का हकदार और अन्य कोई सहबद्व प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

3. **प्रथम पक्षकार** की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

   परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा, तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (डयूटी) से अनुधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के

नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कार लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक कारणो। से ऐसा करना अपेक्षित हो ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यथियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः–

1. ....
....
....

(नाम व पूरा पता)

2. ....

....

....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

सक्षियों की उपस्थिति मेंः–

1. ....

....

....
(नाम व पूरा पता)

....

....

....
(नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[*Authoritative English Text of this Department Notification No: Mudran(B)*10-8/2010 *dated* 16-05- 2016 *as required under clause* (3) *of Article 348 of the Constitution of India.*]

PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 16th *May,* 2016

No: Mudan (B)10-8/ 2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment & Promotion Rules for the post of **Assistant Controller (Printing) Class-I (Gazetted) Technical,** in the Department of Printing and Stationery, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(*i*) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, **Assistant Controller (Printing) Class-I (Gazetted) Technical** Recruitment and Promotion Rules,2015.

(i) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.—(*i*) The Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Assistant Controller (Printing), Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1998 notified vide Notification No: 2(B)2 -9/93- Mudran dated 10 -12-1998 are hereby repealed.

(*ii*) Notwithstanding such repeal, any appointment made, anything done or any action taken under sub- rule-2(i) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these Rules.

By order,

Sd/-
Principal Secretary (P&S).

ANNEXURE-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSISTANT CONTROLLER (PRINTING), (GAZETTED) CLASS-I, IN THE DEPARTMENT OF PRINTING AND STATIONERY HIMACHAL PRADESH.

1. **Name of the Post.**—Assistant Controller (Printing)

2. **Number of Post(s).**—01 (One)

3. **Classification.**—Class-I (Gazetted) (Technical)

4. **Scale of Pay.**—Pay Scale for regular incumbents

Pay Band ₹10300-34800+ ₹ 5000/- Grade Pay

(*ii*) Emoluments for contract employees
₹15300 /- P.M. as per details given in Column 15-A

5. **Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.**— Selection

6. **Age for direct recruitment.**—45 years' and below

Provided that upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age-limit is relax able for Scheduled Castes / Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporation /Autonomous Bodies at the time of initial of such constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies and who were /are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Notes:—(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).— *Essential Qualification(s).*—(*i*) Matric or Higher Secondary Part-I or its equivalent from a recognized University / Board.

(*ii*) Three Years Diploma in Printing Technology from a recognized University or an Institution duly recognized by the Central /H.P. Government.

(*iii*) Five years experience as Supervisor in the Government Printing Press/Private Printing Press of a repute.

(b) Desirable Qualification(s):—(*i*) Degree in Printing Technology from a recognized University or an Institution duly recognized by the Central/H.P. Government.

(*ii*) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and Suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee.(s).—*Age:*— Not applicable.

Educational Qualification:— Yes as prescribed against Column No. 11 below.

9. Period of probation, if any.—Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which by direct recruitment on a 'regular' basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which promotion/secondment/transfer is to be made:—By promotion from amongst the General Foreman who are Matriculate or its equivalent and possess three years regular or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the General Foreman who are Matriculate or its equivalent and possess five year regular or regular combined with continuous adhoc service, if any combined as General Foremen, Head Reader / Section Holder (Composing) /Section Holder (Mono) / Section Holder (Printing) / Section Holder (Computing) and Section Holder (Binding) out of which 02 years essential service must be as General Foreman.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R& P Rules :

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to the above, all person senior to him/ her in the respective category / post / cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration :

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less :

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him /her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion:

Explanation:—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Service men recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules,1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there- under .

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continunuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment / promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—D.P.C. to be presided over by the Chairman of Himachal Pradesh Public Service Commission or a Member thereof to be nominated by him. .

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of *viva-voce* test; If the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the Commission/ other recruiting authority, as the case may be.

15- A. Selection for appointment to the post by contract appointment.—Not-withstanding anything contained in these Rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT.—(*a*) Under this policy, the **Assistant Controller (Printing) HP,** in the Department of Printing & Stationery, HP will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable, on year- to- year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POSTFALLSWITHINTHEPURVIEWOF HPPSSC:—The Secretary, Printing & Stationery to the Govt. of Himachal Pradesh, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. HPPublicServiceCommission .

(*c*) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

(II) CONTRACTUALEMOLUMENTS:—The **Assistant Controller (Printing)** appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹ 15,300/- per month (which shall be equal to the minimum of the pay band + grade pay.) An amount of ` 459/- (3% of the minimum of pay band +grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Secretary (Printing and Stationery) to the Government of of H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of Viva- voce test or if considered necessary or expedient by a written test, or practical test the standard / syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Public ServiceCommission from time to time.

(VI) AGREEMEMT.—After selection of a candidate, he /She shall sign an agreement as per Annexure–"B" appended to these Rules.

(VII) TERMS ANDCONDITIONS.—(*a*) The Contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ₹. 15,300 /- per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade Pay). The Contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ₹ 459 /- (3% of minimum of the Pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefit such as senior /selection scales etc. will be given.

(*b*) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(*c*) Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employees will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 day's Medical Leave and 05 days special leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above admissible to the contract appointee.

Provided that un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated up to the calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(*d*) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the Contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un- authorized absence from duty were beyond his /her control on medical

grounds, such period shall not be excluded while considering his /her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he/ she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(*e*) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(*f*) Selected candidate will have to submit a Certificate of his /her fitness from a Government /Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(*g*) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(*h*) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees, will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/Other categories of persons issued by Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a departmental examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

ANNEXURE "B"

Form of contract/agreement to be executed between the Assistant Controller (Printing) & the Government of Himachal Pradesh through-Controller Printing and Stationery., Department

This agreement is made on this……………….day of…………..in the year………..…...…………..…….Between……...….….……Sh/Smt.………..…………….S/o/D/o Shri…………………R/o……………………………………… Contract appointee (herein after called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through-Controller, Printing and Stationery Department, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY, and the FIRST PARTY has agreed to serve **as Assistant Controller(Printing)** on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as **Assistant Controller (Printing)** for a period of one year commencing on day of ----------------…………………………..and ending on the day of ……………… It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on -------------------And information notice shall not be necessary.

   Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contact is to be renewed/extended.

2. The Contractual appointee will be paid fixed contractual amount **Rs. 15300**/-per month. (which shall be equal to the minimum of pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase contractual amount @ Rs. 459/- (3% of the minimum of the pay band +grade pay of the post) for further extended year and no other allied benefit such as senior/ selections scales etc, will be given.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual **Assistant Controller (Printing)** will be entitled for one day casual leave after putting his one month service. However, the contractual employee will be entitled for 135 days maternity leave and 10 day's Medical leave. He/ She shall not be entitled Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of other kind except above is admissible to the Contractual appointee.

   Provided that the un-availed casual leave and Medical leave can be accumulated up to the Calendar year and will not carry forward the next Calendar year.

5. Unauthorized absences from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization, but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled fro contractual amount for this period of absence from duty:

   Provided that he/she shall submit the certificate of illness/ fitness issued by the Medical officer, as per prevailing instruction of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practioner. In case of women candidate's pregnant

beyond twelve weeks will render her temporary unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of the pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s)

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first , above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. ……………………………………..

……………………………………….

……………………………………….

(Name and full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. ……………………………………..

……………………………………….

……………………………………….

(Name and full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. ……………………………………..

……………………………………….

……………………………………….

(Name and full Address)

2. ……………………………………..

……………………………………….

……………………………………….

(Name and full Address)

(Name and full Address)

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, तारीख 17 मई, 2016

संख्याः 1–58/69–फिन(एल0ए0) पार्ट–2722.– हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः1–58/69–फिन{एल0ए0}पार्ट{4}, तारीख 30 अक्तूबर, 2008 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, **कनिष्ठ लेखा परीक्षक, वर्ग–3 {अराजपत्रित}** भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2008 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, कनिष्ठ लेखा परीक्षक, वर्ग–3 {अराजपत्रित} भर्ती और प्रोन्नति {प्रथम संशोधन} नियम, 2016 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगें।

2. **उपाबन्ध "क" का संशोधन.**–स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, कनिष्ठ लेखा परीक्षक, वर्ग–3 {अराजपत्रित} भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2008 के उपाबन्ध "क" के स्तम्भ 15–क(VII) (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात :–

स्तम्भ 15–क (VII) (ग).–संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति एक माह के सेवाकाल के पश्चात एक दिवस के आकस्मिक अवकाश का सुपात्र होगा। तथापि संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति 135 दिनों के मातृत्व अवकाश व दस दिनों के चिकित्सा अवकाश तथा पाँच दिन के विशेष अवकाश का भी हकदार होगा। संविदा आधार पर नियुक्त महिला कर्मचारी अपने सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान अकाल प्रसव की स्थिति में गर्भपात सहित, अधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 45 दिन के मातृत्व अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या के निरपेक्ष) की भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा अवकाश रियायत यात्रा इत्यादि का हकदार नहीं होगा।

संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नही होगा।

परन्तु अव्ययित आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाष तथा विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किए जा सकेगें तथा आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रेशित नहीं किए जाएगें ।

उपाबन्ध ''ख'' की शर्त संख्या 4 का संशोधन.—स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, कनिष्ठ लेखा परीक्षक, वर्ग–3 {अराजपत्रित} भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2008 के उपाबन्ध "ख" की शर्त संख्या 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात:–

शर्त संख्या 4.– संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति एक माह के सेवाकाल के पश्चात एक दिवस के आकस्मिक अवकाश का सुपात्र होगा। तथापि संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति 135 दिनों के मातृत्व अवकाश व दस दिनों के चिकित्सा अवकाश तथा पाँच दिन के विशेष अवकाश का भी हकदार होगा। संविदा आधार पर नियुक्त महिला कर्मचारी अपने सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान अकाल प्रसव की स्थिति में गर्भपात सहित, अधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 45 दिन के मातृत्व अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या के निरपेक्ष) की भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा अवकाश रियायत यात्रा इत्यादि का हकदार नहीं होगा। संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नही होगा।

परन्तु अव्ययित आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश तथा विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किए जा सकेगें तथा आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रेषित नहीं किए जाएगें ।

आदेश द्वारा,
हस्ता/–
प्रधान सचिव (वित्त) ।

———————

[*Authoritative English Text of this Notification No. 1-58/69 Fin(LA)Part-2715, dated 17th May, 2016 as required under clause (3) of Articles 348 of the Constitution of India*]

LOCAL AUDIT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, Dated 17th May, 2016

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh, Local Audit Department, **Junior Auditor, Class-III (Non-gazetted)** Recruitment and Promotion Rules, 2008 notified *vide* this Department Notification No. 1-58/69-Fin(LA)- Vol- Part(4), dated 30.10.2008, namely:--

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Local Audit Department, Junior Auditor, Class-III (Non-gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2016.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajparta, Himachal Pradesh.

2. Amendment of the Annexure "A".— In Annexure **'A'** to the Himachal Pradesh Local Audit Department, Junior Auditor, Class-III (Non-gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2008:--

For the existing provision against Col. No. 15-A (VII) (c) the following shall be substituted, namely:

Col.No.15-A (VII) (c).—The Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract appointee will also be entitled for

135 days maternity leave, 10 days Medical leave and 5 days special leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

3. Amendment of Conditions at Serial No. 4 of Annexure "B".— In Annexure 'B' to the Himachal Pradesh Local Audit Department, Junior Auditor, Class-III (Non-gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2008:-

For the existing Condition No. 4 the following shall be substituted, namely:

Condition No. 4.—The Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract appointee will also be entitled for 135 days maternity leave, 10 days Medical leave and 5 days special leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

By order,
Sd/-
Principal Secretary (Finance).

TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17th May, 2016

No. EDN(TE)B(2)19/2013.--The Governor, Himachal Pradesh is pleased to fix the contractual amount of Assistant Professor working on contract basis in the Government College(s) of Pharmacy in the Department of Technical Education, Vocational & Industrial Training in Himachal Pradesh @ Rs. 35,000/- per month (Rupees thirty five thousands only) in place of Rs. 21600/-per month (i.e. minimum of pay scale+ grade pay) with immediate effect. However, 3% annual increase will not be applicable on enhanced fixed contractual amount of Rs. 35,000/-per month.

By order,
Sd/-
Principal Secretary (TE).

TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17th May, 2016

No. EDN(TE)B(2)16/2013.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order for filling up of 10 posts of teaching faculty in Government College of Pharmacy, Rohru, District Shimla as detailed below:--

Sr. No.	Name of Post	No. of Posts	Mode of recruitment
1.	Professor (Pharmacy)	01	As per R&P Rules
2.	Associate Professor (Pharmacy)	03	As per R&P Rules
3.	Assistant Professor (Pharmacy)	06	On contract basis
	Total	10 Posts	

By order,
Sd/-
Principal Secretary (TE)

INDUSTRIES DEPARTMENT
A-Section

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th May, 2016

No. Ind-A(B)1-2/2011.--The Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to offer appointment to the following candidates as Manager/Project Manager, DIC, Class-II (Gazetted), on contract basis in the Department of Industries, Himachal Pradesh, subject to acceptance of terms and conditions indicated below :--

S. No.	Name & Address of the candidate
1.	Ms. Neha Chauhan D/o Shri Girija Nand Chauhan, Mahunag Niwas, Vill. Shakarala (Mehli), PO Malyana, Tehsil & Distt. Shimla, H.P.-171006.
2.	Sh. Raman Thakur S/o Sh. Joginder Thakur, Thakur Niwas, Kaftadhar, Shimla, H.P.-171003
3.	Sh. Sunil Kumar S/o Sh. Ravinder Kumar Verma, Vill. Nela Near Anglo School, PO Dudar, Teh. Sadar, Distt. Mandi, HP.-175001
4.	Sh. Sunny Grack, S/o Shri Hira Lal Grack, C/o Sanjay Verma, Verma Niwas, Top Floor, Near Lakhanpal House, BCS, New Shimla, HP.-171009

5.	Sh. Pratyush Chauhan S/O Sh. Prabhat Chauhan, #359 Ward No.1, Near PG College, Anu, Hamirpur, HP.-177005
6.	Sh. Maneet Kumar S/o Sh. Subhash Chandra Choudhary, RZG-305, Raj Nagar-II, Palam Colony, New Delhi-110045.
7.	Sh. Rachit Sharma S/o Sh. Ghanshyam Sharma, H. No. 13/1 NAC, Sarahan, Ward No.6, Vill. Sarahan Kalan, PO Pachhad, Distt. Sirmour, H.P.-173024
8.	Sh. Thakur Bhagat, S/o Sh. Prem Bhagat, Deptt. of Bioscience, H P University, Summerhill, Shimla, HP-171005
9.	Sh. Vinay S/o Sh. Dhani Ram, H. No. 151/3, Pungh, Sundernagar, Distt. Mandi, HP.-175018
10.	Ms. Ambika Sood, D/o Sh. Brij Mohan Sud, C/o Brij Mohan Sud, Chief Engineer (Generation), HPSEBL, BBMB Colony, Sundernagar, Distt. Mandi, H.P.-175019
11.	Sh. Manoj S/o Sh. Kanwar Singh, Village Kharoh, P.O. Sadhot, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P.-175037
12.	Sh. Vineet Kumar S/o Sh. Sant Ram, House No. 88, Ward No. -3, Pratap Nagar, Hamirpur, Distt. Hamirpur, H.P.-177001

Terms & Conditions :

1. The appointment will be made on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

2. The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ ₹14,700/- per month (which shall be equal to initial of the Pay Band + Grade Pay). He/She will be entitled for increase in contractual amount @ ₹441/- (equal to 3% of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

3. The service of the contract employee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
4. The private practice of any kind, whatsoever, is strictly prohibited.

5. The contract appointee shall not confer any right to incumbent for the regularization in service at any stage.

6. The contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 days medical leave and 5 days special leave. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

   Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical officer, as per prevailing instructions of the Government.

   Provided that the un-availed Casual Leave, Special Leave and Medical Leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

7. Un-authorized absence from duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. The contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

8. An Officer appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

9. The Contract appointee will be entitled to TA/DA, if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officers at the minimum of Pay scale.

10. Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointee.

11. He/She will sign an agreement to be executed between the Contract Appointee and the Government of Himachal Pradesh before joining his duty in the Department of Industries.

The candidates will furnish written acceptance of appointment offered to them immediately on receipt of their appointment orders to the Principal Secretary (Industries) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2; failing which the offer of appointment will be treated as cancelled.

In case of acceptance of appointment, the candidate(s) shall submit their joining report in the office of Section Officer, Industries-A, Room No. 215, Armsdale Building, H.P. Secretariat, Shimla, Ph. No.0177-2880436, within 15 days positively. The candidates are also directed to bring the original testimonials, certificates etc. for checking and verification.

The posting orders are being issued separately.

By order,
Sd/-
Principal Secretary (Inds.)

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT
Section-A

NOTIFICATION

Dated: the 19th May, 2016

No. WLF-F(10)-19/2000-Loose.--In partial modification of this Department Notification of even number dated 13.10.2014 and in exercise of the powers conferred under Rule—91 of the Juvenile Justice(Care and Protection of Children) Rules,2007, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to nominate Smt. Suwarchana Gutam, Gutan Sadan, May Villa Summer Hill, H.P. Shimla as Member of the State Selection committee in place of Smt. Shyama Dogra at Sr. No.2 with immediate effect.

By order,
(ANURADHA THAKUR),
Secretary (SJ&E).

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

आमर्जडेल शिमला–171002 , **Armsdale,Shimla-171002 Tel. 0177- 2620152,2620159,2620154, Fax. 2620152**
e-mail. secysechp@gmail.com **secysec-hp@nic.in**

NOTIFICATION

Dated, the 20th May, 2016

No. SEC.16-29/2000-I- 8837-8986.—Whereas programme for the conduct of General Elections to Panchayati Raj Institutions in Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District and By- Elections to fill up the vacancies in various Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies in the state occurred up to date have been notified by the State Election Commission vide Notification No. SEC-16-70/2014- II- dated 20th May, 2016;

Whereas it is considered appropriate, desirable and necessary in the interest of free, fair smooth and peaceful conduct of elections to the Panchayati Raj Institutions, and Urban Local Bodies to enforce Model Code of Conduct;

Therefore, the State Election Commission, in exercise of the powers vested in it under Article 243-K and ZA of the Constitution of India, Section 160 of the H.P.Panchayati Raj Act, 1994, Section 281 of the Himachal Pradesh Municipal Act 1994, hereby directs that Model Code of Conduct in the areas mentioned below shall come into force w.e.f. **21.5.2016** till the election process is completed:- -

1. District Lahaul & Spiti
2. Pangi Sub-Division of District Chamba
3. In respect of By-Election to Zila Parishad Wards:- Territorial jurisdiction of the concerned ward
4. In respect of By-Election to Panchayat Samiti Ward:- Territorial jurisdiction of the concerned ward
5. In respect of By-Election to Pradhan/Up-Pradhan/Member Gram Panchayat Territorial jurisdiction of the concerned Gram Panchayat
6. In respect of By-Election to Municipal Member:- Territorial jurisdiction of the concerned Municipal Committee.

By order
(T.G.NEGI),
State Election Commissioner.

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

आमर्जडेल शिमला–171002, Armsdale,Shimla-171002 Tel. 0177- 2620152,2620159,2620154, Fax. 2620152
e-mail. secysechp@gmail.com secysec-hp@nic.in

NOTIFICATION

Dated, the 20th May, 2016

No. SEC.16-70/2014-I- 8680.—In exercise of the powers vested under Article 243-K of the Constitution of India, Section 160 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994, Rule 32 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994; the State Election Commission Himachal Pradesh hereby notifies the Election Programme for the conduct of general elections to Panchayati Raj Institutions of following tribal areas of District Lahaul & Spiti and Chamba :--

S.No	District	Sub -Division	Office Bearer
1.	Lahaul & Spiti	Udaipur & Keylong	All the three tiers of PRIs.
2.		Kaza	Only Zila Parishad Members
3.	Chamba	Pangi	Gram Panchayats and Panchayat Samiti only

In addition to above, the State Election Commission in exercise of powers vested under Section 131(4) of the Act ibid hereby notifies the Election Programme to fill up the casual vacancies occurred upto date and where the office bearers could not be elected for some reason during the General Election held in the month of January, 2016 to Panchayats. The Election programme shall be undertaken as under:--

1.	Nomination papers shall be presented:	**On 1st , 2nd and 3rd June, 2016 (between 11 am to 3 pm).** Nomination papers for the office bearers of Gram Panchayat, Panchayat Samiti & Zila Parishad shall be filed at designated places and before the Officers appointed by the District Election Officers (Panchayat)–cum-Deputy Commissioner for the purpose.
2.	The nomination papers shall be scrutinized;	**On 4th June, 2016** **(From 10.00 am onwards)**
3.	A candidate may withdraw his candidature;	**On 6th June, 2016** **(Between 10.00 am to 3.00 p.m.)**
4.	The list of contesting candidates showing the name of symbols allotted to them immediately after the time of withdrawal is over shall be prepared and affixed;	On 6th June, 2016 immediately after the time of withdrawal is over.
5.	The list of Polling stations shall be pasted;	On or before 1st June, 2016.
6.	The Poll, if necessary, shall be held from **7 AM to 3 PM**	Ist Phase 17th June, 2016 2nd Phase 19th June, 2016 only in case of Udypur,Keylong and Pangi Sub-Division.
7.	Counting of votes, in the event of Poll, shall be done	(i) The counting of votes for the Ward Members, Up-Pradhan and Pradhan of Gram Panchayats shall be taken up immediately after the close of the poll at the Gram Panchayats Headquarters. (ii)The counting of votes for the members of Panchayat Samiti and Zila Parishad shall be taken up on **20th June,2016** at **8.30 AM.** at respective Block Headquarters. The counting for a Ward Members once started shall continue until it is completed.
8.	The results of election shall be declared.	The results of the election of Members, Up- Pradhan & Pradhan of Gram Panchayat shall be declared immediately after the counting is over. The result of election of Members of Panchayat Samiti shall be declared on the day of counting at the Block Headquarters immediately after the counting process is over. The result of election to Zila

		Parishad shall be declared in accordance with the provisions contained in rule 75(vi) of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994.

Note.—The process of election shall be completed by 21st June, 2016.

By order,
(T. G. NEGI),
State Election Commissioner.

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री वन्टी राम सुपुत्र श्री तारा चन्द, निवासी गांव मैरा, मौजा भरमाड, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व विभाग के महाल मैरा में वन्टी राम दर्ज है। जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका नाम वन्टी कुमार पुत्र श्री तारा चन्द दर्ज चला आ रहा है। उसने अनुरोध किया है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड में वन्टी राम के बजाए श्री वन्टी राम उर्फ वन्टी कुमार पुत्र श्री तारा चन्द दर्ज किया जाए।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 23—5—2016 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नियमानुसार नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 23—4—2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

ब अदालत भूवनेश्वर कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 04/T/2016/Misc. तारीख पेशी : 23—05—2016

श्री सुनील कुमार पुत्र श्री किशन चन्द, निवासी गांव भटाल कलां, डाकघर सियालकड, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकदमाः—हि0 प्र0 शादी पंजीकरण अधिनियम, 1996 की धारा 8(4) के तहत शादी का पंजीकरण।

नोटिस बनाम :—

प्रार्थी श्री सुनील कुमार पुत्र श्री किशन चन्द, निवासी गांव भटाल कलां, डाकघर सियालकड, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया कि मेरी शादी दिनांक 26—04—2013 को श्रीमति सपना देवी पुत्री श्री प्रकाश चन्द, निवासी गांव क्योड, डा0 भटावां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के साथ नागनी माता मन्दिर में शादी की थी, परन्तु कानून की जानकारी न होने के कारण शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत सियालकड, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज न हो सकी है। अतः हमारी शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत सियालकड के अभिलेख में दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 23—5—2016 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेर समायत न होगा तथा श्री सुनील कुमार पुत्र श्री किशन चन्द व श्रीमती सपना देवी पुत्री श्री प्रकाश चन्द की शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत सियालकड, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23—4—2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत भूवनेश्वर कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 05/T/2016/Misc. तारीख पेशी : 23—05—2016

श्री राजेश कुमार पुत्र श्री लाभा राम, निवासी गांव वनगल, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकदमा:—हि0 प्र0 शादी पंजीकरण अधिनियम, 1996 की धारा 8(4) के तहत शादी का पंजीकरण।

नोटिस बनाम :—

प्रार्थी श्री राजेश कुमार पुत्र श्री लाभा राम, निवासी गांव वनगल, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया कि मेरी शादी दिनांक 24—02—2012 को श्रीमति रजनी देवी पुत्री श्री प्रताप सिंह, निवासी गांव वनघ्यार, डा0 वभारना, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के साथ सामान्य हिन्दू रीति—रिवाज के अनुसार शादी की थी, परन्तु कानून की जानकारी न होने के कारण शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत वारी कलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज न हो सकी है। अतः हमारी शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत वारी कलां के अभिलेख में दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 23—05—2016 को असालतन व वकालतन

पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेर समायत न होगा तथा श्री राजेश कुमार पुत्र श्री लाभा राम व श्रीमती रजनी देवी पुत्री श्री प्रताप सिंह कटोच की शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत वारी कलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23—4—2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत श्री कांशी राम सुमन, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी / कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप—तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्रीमती लता देवी आयु 61 साल पत्नी श्री भगत राम, निवासी गांव पुखरी, डा0 ब्रैहिन, उप—तहसील सैंज, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0) .. प्रार्थिन।

बनाम

आम जनता

विषय.——ग्राम पंचायत रिकार्ड में नाम की दरुस्ती करने बारे।

सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती लता देवी आयु 61 साल पत्नी श्री भगत राम, निवासी गांव पुखरी, डा0 ब्रैहिन, उप—तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने एक दरख्वास्त गुजारी है कि ग्राम पंचायत देवगढ़ गोही के रिकार्ड में प्रार्थिन का नाम लीला देवी पत्नी श्री भगत राम दर्ज है जब कि प्रार्थिन के पति पूर्व सैनिक भारतीय सेना सेवानिवृत पैंशन दस्तावेजों में प्रार्थिन नॉमिनी का नाम लता देवी पत्नी भगत राम जन्म तिथि 11—02—1955 दर्ज है। जिसकी दरुस्ती के बारे दिया गया शपथ पत्र भी संलग्न है कि ग्राम पंचायत देवगढ़ गोही के रिकार्ड में इसका नाम लीला देवी उर्फ लता देवी पत्नी भगत राम जन्म तिथि 11—02—1955 दर्ज किया जावे।

अतः इस विज्ञापन द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस सबन्ध में किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह असालतन व वकालतन अपनी आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 25—5—2016 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसका ईन्द्राज ग्राम पंचायत रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।

आज दिनांक 25—04—2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी / कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप—तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री कांशी राम सुमन, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी / कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

मिसल नं0 सुनवाई की तिथि

भावना देवी आयु 19 साल पुत्री स्व0 श्री गोपाल सिंह, निवासी गांव नगौनी, डा0 कनौन, उप–तहसील सैंज, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0) . . प्रार्थिन।

बनाम

आम जनता

विषय.——ग्राम पंचायत रिकार्ड में मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे।

सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि भावना देवी आयु 19 साल पुत्री स्व0 श्री गोपाल सिंह, निवासी गांव नगौनी, डा0 कनौन, उप–तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने एक दरख्वास्त गुजारी है कि ग्राम पंचायत कनौन के मृत्यु पंजि में प्रार्थिन के पिता श्री गोपाल सिंह पुत्र लच्छी राम की मृत्यु तिथि 29–09–2014 दर्ज नहीं है। जिसे दर्ज करने बारे दिया गया शपथ पत्र भी संलग्न है कि ग्राम पंचायत कनौन के मृत्यु रजिस्टर में गोपाल सिंह की मृत्यु तिथि 29–09–2014 दर्ज की जावे।

अतः इस विज्ञापन द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस सबन्ध में किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह असालतन व वकालतन अपनी आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 25–5–2016 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसका ईन्द्राज ग्राम पंचायत रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।

आज दिनांक 25–04–2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी / कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री कांशी राम सुमन, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी / कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्रीमती रेवती देवी आयु 29 वर्ष पत्नी श्री भूमि चन्द, निवासी गांव झुंगड़, डा0 वनोगी, उप–तहसील सैंज, जिला कुल्लू , (हि0 प्र0) . . प्रार्थिन।

बनाम

आम जनता

विषय.——ग्राम पंचायत रिकार्ड में पुत्र का नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि रेवती देवी आयु 29 वर्ष पत्नी भूमि चन्द, निवासी गांव झुंगड़, डा0 वनोगी, उप–तहसील सैंज, जिला कुल्लू, (हि0प्र0) ने एक दरख्वास्त गुजारी है कि ग्राम पंचायत वनोगी के रिकार्ड में प्रार्थिन के पुत्र का नाम रितेश कुमार पुत्र भूमि चन्द, जिसकी जन्म तिथि

13—10—2013 है, दर्ज नहीं है। जिसे दर्ज करने बारे दिया गया शपथ पत्र भी संलग्न है कि गांम पंचायत वनोगी के रिकार्ड में इसका नाम रितेश कुमार पुत्र भूमि चन्द, जिसकी जन्म तिथि 13—10—2013 दर्ज की जावे।

अतः इस विज्ञापन द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस सम्बंध में किसी भी व्यक्ति को आपति हो तो वह असालतन व वकालतन अपनी आपति इस न्यायालय में दिनांक 25—5—2016 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा इसका ईन्द्राज ग्राम पंचायत रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।

आज दिनांक 25—4—2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी / कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप—तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

—————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सैंज,
उप—तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री हुकम सिंह आयु 39 वर्ष पुत्र श्री रूम सिंह, निवासी गांव नौणू, डा0 ब्रैहिन, उप—तहसील सैंज, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.——हि0 प्र0 राजस्व अधिनियम के राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती बारे प्रार्थना—पत्र।

सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि श्री हुकम चन्द आयु 39 वर्ष पुत्र श्री रूम सिंह, निवासी गांव नौणू, डा0 ब्रैहिन, उप—तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने प्रार्थना—पत्र शपथ पत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड फाटी रोट—1, कोठी भलाण, उप—तहसील सैंज, जिला कुल्लू में हुकम चन्द पुत्र रूम सिंह दर्ज हुआ है जबकि हुकम सिंह पुत्र रूम सिंह दर्ज होना चाहिए था। अतः इसे दरूस्त किया जाए।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 25—5—2016 को असालतन व वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर / एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड फाटी रोट—1, कोठी भलाण, उप—तहसील सैंज, जिला कुल्लू में जमाबंदी रिकार्ड, शजरानस्व रिकार्ड में इसका नाम हुकम चन्द पुत्र रूम सिंह के बजाए हुकम चन्द उर्फ हुकम सिंह पुत्र रूम सिंह दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 25—04—2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सैंज, उप—तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री कांशी राम सुमन, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी / कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील सैंज, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0)

श्री नरेश कुमार आयु 35 साल पुत्र श्री खीमु राम, निवासी गांव शियाउगी, डा0 धाउगी, उप–तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—ग्राम पंचायत रिकार्ड में पुत्र का नाम दर्ज करने बारे।

सर्व साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि श्री नरेश कुमार आयु 35 साल पुत्र श्री खीमु राम, निवासी गांव शियाउगी, डा0 धाउगी, उप–तहसील सैंज, जिला कुल्लू, (हि0प्र0) ने एक दरख्वास्त गुजारी है कि इसके पुत्र घनश्याम पुजारी का नाम गलती से ग्राम पंचायत धाउगी के परिवार रजिस्टर / जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं है। प्रार्थी का पुत्र घनश्याम पुजारी जिसकी जन्म तिथि 10–04–2011, जन्म स्थान गांव शियाउगी, ग्राम पंचायत धाउगी, के परिवार पंजी / जन्म पंजी में दर्ज किया जाना उचित है। जिसे दर्ज करने बारे दिया गया शपथ पत्र भी संलग्न है ग्राम पंचायत रिकार्ड में इसके पुत्र का नाम घनश्याम पुजारी व जन्म तिथि 10–04–2011 दर्ज की जावे।

अतः सर्वसाधारण को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बंध में किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह असालतन व वकालतन अपनी आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 28–05–2016 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा इसका ईन्द्राज ग्राम पंचायत रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।

आज दिनांक 28–4–2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी / कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत श्री कांशी राम सुमन, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी / कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील सैंज, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0)

श्री राज कुमार आयु 34 साल पुत्र श्री भगत राम, निवासी गांव ठगवाचा, डा0 सैंज, उप–तहसील सैंज, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.——ग्राम पंचायत रिकार्ड में नाम की दरुस्ती करने बारे।

सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि राज कुमार आयु 34 साल पुत्र श्री भगत राम, निवासी गांव ठगवाचा, डा0 सैंज, उप–तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने एक दरख्वास्त गुजारी है कि ग्राम पंचायत रैला के रिकार्ड में प्रार्थी का नाम राज कुमार पुत्र श्री भगत राम दर्ज है जबकि उसके राजस्व

रिकार्ड में प्रार्थी का नाम टेढ़ी सिंह पुत्र भगत राम दर्ज है। जिसकी दरूस्ती के बारे दिया गया शपथपत्र भी संलग्न है कि ग्राम पंचायत रैला के रिकार्ड में इसका नाम राज कुमार उर्फ टेढ़ी सिंह पुत्र भगत राम दर्ज किया जावे।

अतः इस विज्ञापन द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस सबन्ध में किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह असालतन व वकालतन अपनी आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 28–5–2016 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसका ईन्द्राज ग्राम पंचायत रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।

आज दिनांक 28–04–2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी / कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री कांशी राम सुमन, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी / कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील सैंज, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0)

मीने राम आयु 25 साल पुत्र श्री शम्भू राम, निवासी गांव जौली, डा0 भलाण, उप–तहसील सैंज, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.——ग्राम पंचायत रिकार्ड में नाम की दरुस्ती करने बारे।

सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि मीने राम आयु 25 साल पुत्र श्री शम्भू राम, निवासी गांव जौली, डा0 भलाण, उप–तहसील सैंज, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त गुजारी है कि ग्राम पंचायत भलाण–2 के रिकार्ड में प्रार्थी के पुत्र का नाम हीर सिंह पुत्र श्री मीने राम दर्ज है जबकि विद्यालय रिकार्ड में हीरा सिंह पुत्र मीने राम दर्ज है कि ग्राम पंचायत भलाण–2 के रिकार्ड में इसका नाम हीरे सिंह उर्फ हीरा सिंह पुत्र मीने राम किया जावे।

अतः इस विज्ञापन द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस सबन्ध में किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह असालतन व वकालतन अपनी आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 30–5–2016 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसका दरूस्ती ईन्द्राज ग्राम पंचायत रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।

आज दिनांक 28–04–2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी / कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Rural, District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Shri Arjun Singh s/o Shri Prakash Chand, r/o Village Darbathu, P.O. Lohara, Tehsil Sadar (Now Balh), District Mandi, H. P.

2. Smt. Nisha Devi d/o Shri Kailash, r/o V.P.O. Trilokpur, Tehsil Nahan, District Sirmaur, H.P. [At present wife of Shri Arjun Singh s/o Shri Prakash Chand, r/o Village Darbathu, P.O. Lohara, Tehsil Sadar (Now Balh), District Mandi, H. P.] . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Arjun Singh s/o Shri Prakash Chand, r/o Village Darbathu, P.O. Lohara, Tehsil Sadar (Now Balh), District Mandi, H. P. and Smt. Nisha Devi d/o Shri Kailash, r/o V. P.O. Trilokpur, Tehsil Nahan, District Sirmaur, H.P. [At present wife of Shri Arjun Singh s/o Shri Prakash Chand, r/o Village Darbathu, P.O. Lohara, Tehsil Sadar (Now Balh), District Mandi, H. P.] have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 25-11-2011 according to Hindu rites and customs at Vaishno Mata Temple Kullu, District Kullu, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 23-05-2016 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 21st day of April, 2016 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Mandi (Rural), District Mandi.

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Rural, District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Shri Vijay Singh s/o Shri Basant Singh, r/o Village Kot, P.O. Chunahan, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.

2. Smt. Anita d/o Shri Gian Singh, r/o Village Manyana, P.O. Tilli, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. (At present wife of Shri Vijay Singh s/o Shri Basant Singh, r/o Village Kot, P.O. Chunahan, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.) . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Vijay Singh s/o Shri Basant Singh, r/o Village Kot, P.O. Chunahan, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and Smt. Anita d/o Shri Gian Singh, r/o Village Manyana, P.O. Tilli, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. (At present wife of Shri Vijay Singh s/o Shri Basant Singh, r/o Village Kot, P.O. Chunahan, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.) have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 17-09-1996 according to Hindu rites and customs at Hateshwari Temple Hatgarh, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 27-05-2016 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 27th day of April, 2016 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Mandi (Rural), District Mandi.

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Urban,
District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Shri Madan Kumar s/o Shri Krishan Chand, r/o Village Badsar (Shanti Nagar), P.O. & Tehsil Badsar, District Hamirpur H. P.(At present S.D.O. (C) Sadar, District Mandi, H.P.

2. Smt. Asha Rani d/o Shri Jaishi Ram, r/o Village Nangal Chowk, P.O. & Tehsil Dadasiba, District Kangra, H.P. (At present wife of Shri Madan Kumar s/o Shri Krishan Chand, r/o Village Badsar (Shanti Nagar) P.O. & Tehsil Badsar, District Hamirpur, H. P. (At present S.D.O. (C) Sadar, District Mandi H.P. . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Madan Kumar s/o Shri Krishan Chand, r/o Village Badsar (Shanti Nagar), P.O. & Tehsil Badsar, District Hamirpur, H. P. [At present S.D.O. (C) Sadar, District Mandi H.P.] and Smt. Asha Rani d/o Sh. Jaishi Ram, r/o Village Nangal Chowk, P.O. & Tehsil Dadasiba, District Kangra, H.P. (At present wife of Shri Madan Kumar s/o Shri Krishan Chand, r/o Village Badsar

(Shanti Nagar) P.O. & Tehsil Badsar, District Hamirpur H. P. (At present S.D.O. (C) Sadar, District Mandi H.P. have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 09-05-2001 according to Hindu rites and customs at Village Shanti Nagar Badsar, P.O. & Tehsil Badsar, District Hamirpur H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 25-05-2016 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 25st day of April, 2016 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Mandi (Urban), District Mandi (H.P.).

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar, District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Shri Deepak Ranjan s/o Shri Anil Kumar Jha, r/o H. No. 6 Inderprastha Colony, Itki Road, P.O. Hehal, Ranchi, District Ranchi, Jharkhand At Present Residing at H.No. 106/5 c/o Rajesh Verma near Shiv Mandir Chatrokhari, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P.

2. Jyoti Bala d/o Shri Tirath Ram Chauhan, r/o Village Khatrwari, P.O. Upper Behali, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P. (At present residing at H.No. 106/5 c/o Rajesh Verma near Shiv Mandir Charokhari, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H. P.) . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Deepak Ranjan and Jyoti Bala have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 2-2-2015 at Village Khatrwari, P.O. Upper Behali, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P. according to Hindu Rites and ceremonies and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 25-05-2016 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 26-04-2016 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

RAJIV KUMAR (HPAS),
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sundernagar, District Mandi.

अज अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0	तारीख मरजुआ	तारीख पेशी
		23–5–2016

श्रीमती पवना देवी पत्नी श्री प्रेम सिंह, निवासी धनैतर, डाकघर चौन्तड़ा, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थीन।

बनाम

आम जनता . . फरीकदोम।

जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन पत्र।

श्रीमती पवना देवी पत्नी श्री प्रेम सिंह, निवासी धनैतर, डाकखाना चौन्तड़ा, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि प्रार्थीन के लड़के का वास्तविक नाम आकाश व जन्म तिथि 12–04–2010 है। जो ग्राम पंचायत भडयाडा के जन्म रजिस्टर व परिवार नकल में पंजीकृत नहीं है। जिसे ग्राम पंचायत भडयाडा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जावे।

अतः ईश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मुकद्दमा बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 23–05–2016 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजर होकर अपने उजर एतराज पेश करें अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30–4–2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –

कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 24 / 20–04–2016

श्री जीत राम पुत्र श्री चन्दू, निवासी काण्ढ़ी, डाकखाना व उप–तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—जेर धारा 16 हिमाचल प्रदेश भू—राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती करवाने बारे।

श्री जीत राम पुत्र श्री चन्दू, निवासी काण्ढ़ी, डाकखाना व उप—तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र मय शपथ—पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में जीत राम दर्ज है, परन्तु राजस्व रिकार्ड के मुहाल वशुंधी में गलती से जीतू दर्ज हुआ है। अब प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम को दरुस्त करवा कर पंचायत के आधार पर जीत राम रखना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्व व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दरुस्त करने बारे किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30—05—2016 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन—पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 29—04—2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप—तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

—————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप—तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मुकद्दमा शीर्षक :

श्री हेम सिंह पुत्र श्री सन्त राम, निवासी वन्जाल, उप—तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
..प्रार्थी

बनाम

आम जनता

ईश्तहार मुश्स्त्री मुनादी/राजपत्र हिमाचल प्रदेश।

प्रार्थना—पत्र बराये जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में श्री हेम सिंह पुत्र श्री सन्त राम, निवासी वन्जाल, उप—तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना—पत्र मय व्यान हल्फी व अप्राप्यता प्रमाण—पत्र स्थानीय पंजियक/मृत्यु प्रमाण—पत्र प्रधान, ग्राम पंचायत प्रस्तुत किया है। उसके बेटे विक्रम का जन्म दिनांक 2—3—1992 को हुआ है। किन्हीं कारण वश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज नही करा सका।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त जन्म तिथि दिनांक 2—3—1992 दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन पेशी दिनांक

31—05—2016 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उज्जर पेश कर सकता है। बसूरत गैर हाजरी में एक तरफा कार्यावाही अमल में लाई जाकर तिथि दर्ज कर के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 29—4—2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप—तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, (हि0 प्र0)।

In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R), District Shimla (H. P.)

Shri Om Parkash s/o Shri Gurdass Verma, r/o Village Chowki, P.O. Kherra, Tehsil Suni, District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public .. *Respondent.*

Whereas Shri Om Parkash s/o Shri Gurdass Verma, r/o Village Chowki, P.O. Kherra, Tehsil Suni, District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under Section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of his daughter named—Ms. Kritika d/o Shri Om Parkash s/o Shri Gurdass Verma, r/o Village Chowki, P.O. Kherra, Tehsil Suni, District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Chebri, Shimla.

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of birth
1.	Ms. Kritika	Daughter	16-10-2011

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name and date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Chebri, Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 16-05-2016 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla.

In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R), District Shimla (H. P.)

Shri Swaran Singh s/o Shri Kali Ram, r/o Village Kanwarpur, P.O. Kufri, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public .. *Respondent.*

Whereas Shri Swaran Singh s/o Shri Kali Ram, r/o Village Kanwarpur, P.O. Kufri, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under Section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of

birth of his son named—Mr. Divyanshu s/o Shri Swaran Singh s/o Shri Kali Ram, r/o Village Kanwarpur, P.O. Kufri, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Kufri Shawah, Shimla.

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of birth
1.	Mr. Divyanshu	Son	09-06-2000

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name and date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Kufri Shawah, Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 16-05-2016 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla.

In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R), District Shimla (H. P.)

Shri Madan s/o Lt. Sh. Hiru Ram, r/o Village Shakoli, P.O. Badheri, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public .. *Respondent.*

Whereas Shri Madan s/o Lt. Sh. Hiru Ram, r/o Village Shakoli, P.O. Badheri, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under Section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of his daughter named—Ms. Sanjana d/o Shri Madan s/o Shri Hiru Ram, r/o Village Shakoli, P.O. Badheri, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Dhamoon, Shimla.

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of birth
1.	Ms. Sanjana	Daughter	13-12-2010

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name and date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Dhamoon, Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 03-05-2016 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla.

In the Court of Collector, District Solan, H.P.

Case No. 08/13of 2016 Date of Institution: 20-04-2016

State of Himachal Pradesh
v/s

Sh. Arvind Jain s/o Late Sh. S.P. Jain

Notice.—Proceedings U/s 118 of H.P. Tenancy and Land Reforms Act, 1972.

WHEREAS, a case for the violation of Section 118 of HPT & LR Act, 1972 has been instituted against the respondent Sh. Arvind Jain s/o Late Sh. S.P. Jain r/o 25 C, Kailash Apartments New Delhi-110048 is respect of land comprised in Khata/Khatauni No36 min/80, Khasra no. 202 and 541/203, Kita-2, measuring 00-10 bighas situated at mauja Barog Tehsil and District Solan with the permission of Government of Himachal Pradesh under section 118 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972. The permission was granted vide letter dated 12-08-1986.

And whereas, the Notice sent on available address was affixed in the presence of one witness Sh. Akash Chand, s/o Sh. Gyan Chand on 06-05-2016 for appearing on 13-05-2016 and notice received back with the report of Chowkidar of GPA Sh. Gurdaman Singh the Respondent lives outside.

NOW THEREFORE, this publication under order 5 Rule 20 CPC is hereby issued to the Respondent mentioned above who is informed through this Notice that he should appear in this court on **18-06-2016 at 2:00 PM** personally or through counsel failing which the ex-parte proceeding shall be taken according to law.

Given, under my hand and the seal of this court on 16th day of May, 2016.

By order,
Sd/-
District Collector,
Solan. District Solan H.P.